

4-6-2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत ग्राम  
पंचायत सुरेली पर प्रस्तुत हुयी। वादी  
किशनलाल उपस्थित। पेरोंकार सरकार  
उपस्थित। तहसीलदार अनिषाण द्वारा  
जवान दवा प्रस्तुत किया गया। उक्त  
पक्षों को सुना गया। पत्रावली एवं इस  
पर उपलब्ध दस्तावेजों का मिलान  
किया गया। ~~है~~ जमल जमावदी सम्बन्ध  
2063 से 2066 वाले ग्राम सुरेली में  
दाल आराजी खण्ड 15 रकबा 004 है  
उन्हे ले वादी के नाम है खातेदारी में  
न होकर सिर्फ शह खातेदारी में ही  
संपूर्ण खातेदारी में ही वादी ने सार्वजनिक  
आराजी खण्ड 15 में रकबा 1 बीघा को  
लेकर वाद प्रस्तुत किया है जबकि  
वादी को सम्पूर्ण आराजीखण्ड को लेकर  
तथा सम्पूर्ण मिलान सैनिक प्रस्तुत  
करने के बाद ही वाद पत्र प्रस्तुत

करना चाहिए था। हाल तक नं 3  
रकबा 1.16 हेक्टेयर गेहूँ नाला रजिस्टर  
रेकार्ड में दर्ज है। उक्त रकबा 13  
मि, 5 मि, 6 मि, 7/8 मि, 9 मि, 10 मि  
से मिलकर बना है, जो वादीगण के  
पूर्वजों के स्वामित्व में दर्ज नहीं है।

आ. एन. नं 3 गेहूँ नाला  
है, जिस पर वादी आतिथी है। चूंकि  
नाला पानी के बहने का है  
जिस पर स्वामित्व अधिकार देने पर  
माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय  
अनुसार रोक है। अतः वाद वादीगण  
चलने प्रारंभ नहीं होने से खारिज  
किया जाता है। पत्रावली जैलखुवा  
होकर नाकद से बना है तथा  
दफ्तर दाखिल है। निर्णय सुनाया  
गया।

